

११

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 172581

पटना, दिनांक 27-12-13

ग्रा0वि0-5/इ0आ0यो0(नि0वि0)-102-42/2013

प्रेषक,

संजय कृष्ण,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
समस्तीपुर ।

विषय :- वर्ष 2013-14 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत केन्द्रांश द्वितीय किस्त की निधि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-171519 दिनांक-16.12.13


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समस्तीपुर जिला को प्रथम किस्त केन्द्रांश की निधि विमुक्त होने के बाद प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा वर्ष 2013-14 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत केन्द्रांश द्वितीय किस्त की निधि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जिसमें देय राज्यांश की स्थिति को भी स्पष्ट करने का उल्लेख था । इस बीच पुनः समस्तीपुर जिला को प्रथम किस्त केन्द्रांश की अवशेष राशि की विमुक्ति की सूचना है तथा इसके विरुद्ध देय राज्यांश में वर्ष 2012-13 में दिये गये अग्रिम राज्यांश की राशि का भी समायोजन किया जाना है, अतएव अब अद्यतन केन्द्रांश प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त राशि के साथ-साथ देय राज्यांश को नोशनल रूप में दर्शाकर द्वितीय किस्त केन्द्रांश की निधि की विमुक्ति का प्रस्ताव प्रेषित किया जाना अपेक्षित होगा ।

आप अवगत हैं कि दिसम्बर माह के बाद प्रस्ताव प्रेषित करने पर विलम्ब से प्रस्ताव प्रेषण के कारण से निधि की कटौती होगी जिससे चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लाभुकों को सहायता राशि के भुगतान में अनावश्यक रूप से कठिनाई होगी ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकृष्ट करते हुए केन्द्रांश की द्वितीय किस्त की निधि विमुक्ति का प्रस्ताव, अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं अन्य संगत कागजातों के साथ तुरत विभाग को भेजने की कृपा की जाय ताकि उसे इसी माह में भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा जा सके ।

विश्वासभाजन



(संजय कृष्ण)

विशेष कार्य पदाधिकारी

जापांक 172581

पटना, दिनांक 27-12-13

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
उनसे अनुरोध है कि इस संबंध में अपने स्तर से भी अनुश्रवण करने की कृपा करेंगे ।


विशेष कार्य पदाधिकारी